



कार्यालय जनपद पंचायत सुकमा जिला- सुकमा (छ0ग0)



फ़ोन (कार्यालय) 07864-284261 फ़ैक्स 07864-284261

ई-मेल-jp-sukma.cg@nic.in

क्रमांक / 1286 / ज0प0 / MGNREGA / 2020-21

सुकमा,

दिनांक 19 / 08 / 2020

-: ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन :-


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनागत जनपद पंचायत सुकमा के ग्राम पंचायत जीरमपाल में रोजगार सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 28 फरवरी 2021 तक की संविदा नियुक्ति के लिए दिनांक 19/08/2020 से 04/09/2020 तक कार्यालयीन समय सायं 05.30 बजे तक कार्यालय जनपद पंचायत सुकमा में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। दिनांक 04/09/2020 को सायं 05.30 बजे के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार है:-

क.	ग्राम पंचायत	पदों की संख्या	रोस्टर अनुसार आरक्षित पद	रिमार्क
01	02	03	04	05
1	चिंगावरम	1	ST (महिला)	

नियम एवं शर्तें :-


1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक का 01 पद स्वीकृत है ।
2. आवेदक को संबन्धित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है ।
3. उपरोक्त ग्राम पंचायतों में 12वीं/10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने पर जनपद पंचायत सुकमा के अन्य ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जायेगा ।
4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (10+2) पद्धति से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, चयन उच्चतर अंको में वरीयता के आधार पर किया जायेगा ।
5. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर 10वीं एवं 8वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जायेगा ।
6. महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में आरक्षित प्रवर्ग के वरीयता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा ।
7. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों का अधिभार - 70 प्रतिशत मान्यता प्राप्त संस्था से एक वरीय कम्प्युटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट (पीजीडीसीए/डीसीए/आई टी.आई) - 15 अंक
अथवा
पंचायत सहा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर कम से कम छः माह का अनुभव पर - 15 अंक
8. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान मानदेय पर कार्य के अनुभव पर 06 माह के लिये 05 अंक एवं 06 माह से अधिक पर प्रत्येक 06 माह हेतु 01 अंक के आधार पर अधिकतम - 15 अंक ।
9. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। आयु में छूट पर राज्य शासन के नियम लागू होंगे।

10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यानुभव पर नियमानुसार अंक दिया जाएगा।
12. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ जाति/जाति सत्यापन तथा मूल निवास प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तिथि के दो माह के भीतर सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा।
14. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर की जावेगी तथा इसकी अवधि 01 वर्ष होगी। आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर नियुक्तिकर्ता अधिकारी अवधि आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा की अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी। नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से अधिशासित होंगे।
15. आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा प्रकोष्ठ जनपद पंचायत सुकमा, जिला - सुकमा पिन कोड 494111 के पते पर स्वीकार किये जायेंगे।
16. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी स्पष्ट बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।
17. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5/- रुपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा स्वयं का पता लिखे अनिवार्य रूप से संगलन करना होगा।
18. नियुक्ति पश्चात् उभय पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
19. नियुक्त रोजगार सहायक को मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
20. नियुक्ति रोजगार सहायक का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराया जायेगा तथा अपराधिक रिकार्ड होने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
21. आवेदन पत्र विहित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जनपद पंचायत सुकमा
 सुकमा, दिनांक 19 / 08 / 2020

पृ.क./1286 'A' /ज0प0/स्था./ MGNREGA/2020-21
 प्रतिलिपि:-

01. कलेक्टर महोदय, जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष /सदस्यजनपद पंचायत सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
04. एन0 आई0 सी0 प्रभारी जिला कार्यालय सुकमा को विज्ञापन की एक प्रति के साथ सूचनार्थ। कृपया जिले की वेबसाईट में प्रकाशित कराने कष्ट करें।
05. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायतको सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में मुनादी करा कर दिनांकतक आवेदन इस कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करवाना सुनिश्चित करें।
06. कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जनपद पंचायत सुकमा